**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**
**मध्यप्रदेश**

**क्र./आई.डी.एस.पी./2020/191** **भोपाल, दिनांक 07 मार्च 2020**

**प्रति,**

**समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,**
**समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,**
**समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,**

**विषयः—COVID—19 के परिप्रेक्ष्य में यात्रा संबंधित, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देश।**

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.03.2020 को COVID—19 के परिप्रेक्ष्य में यात्रा संबंधित, भारत सरकार से जारी दिशानिर्देश की प्रति हिन्दी एवं अंग्रेजी में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./2020/** **भोपाल, दिनांक मार्च 2020**

**प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार**
**COVID–19 के लिए समेकित यात्रा सलाह**

दुनिया भर में और भारत में COVID-19 की विकसित स्थिति के मद्देनजर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने समय–समय पर यात्रा सलाह जारी की है। जारी किए गए यात्रा सलाह को निम्नानुसार समेकित किया गया है:

भारतीय नागरिकों को चीन, ईरान, कोरिया गणराज्य, इटली और जापान की यात्रा से परहेज करने की सलाह दी जाती है और अन्य COVID-19 प्रभावित देशों को गैर–आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।

**वीजा प्रतिबंध**

1. सभी नियमित (स्टीकर) वीजा/ई–वीजा (जापान और दक्षिण कोरिया के लिए वीओए सहित) इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के नागरिकों को दिया गया है और 03.03.2020 को या उससे पहले जारी किया गया है और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है, खड़े रहें तत्काल प्रभाव से निलंबित। जिन लोगों को अपरिहार्य कारणों से भारत की यात्रा करने की आवश्यकता होती है, वे निकटतम भारतीय दूतावास /वाणिज्य दूतावास से ताजा वीजा प्राप्त कर सकते हैं।
2. 05.02.2020 को या उससे पहले जारी किए गए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नागरिकों को नियमित (स्टीकर) वीजा/ई–वीजा पहले निलंबित कर दिया गया था। यह लागू रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में भारत की यात्रा करने की आवश्यकता वाले लोग निकटतम भारतीय दूतावास /वाणिज्य दूतावास को नए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. उन सभी विदेशी नागरिकों को नियमित (स्टीकर) वीजा/ ई–वीजा दिया गया है, जिन्होंने पीपुल्स की यात्रा की है 01.02.2020 को या उसके बाद चीन गणराज्य, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और जापान और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो लोग अपरिहार्य परिस्थितियों में भारत की यात्रा कर रहे हैं, वे निकटतम भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास को नए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

**COVID-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण किए जाने का अनिवार्य प्रमाणन (Compulsory Certification)**

4. पहले से ही वीजा प्रतिबंधों के अलावा, इटली या कोरिया जाने वाले यात्रियों और भारत में प्रवेश करने के इच्छुक, इन देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अधिकृत नामित प्रयोगशालाओं से COVID-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण किए जाने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यह 10 मार्च, 2020 के 0000 बजे से लागू किया जाएगा और COVID–19 के निर्वाह के मामलों तक एक अस्थायी उपाय है।

## यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और स्व–घोषणा

5. भारत में प्रवेश करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को स्वास्थ्य अधिकारियों और आव्रजन अधिकारियों को विधिवत स्व–घोषणा पत्र (व्यक्तिगत विवरणों सहित फोन नंबर और भारत में पता) प्रस्तुत करना आवश्यक है और सभी बिंदुओं पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य काउंटरों पर यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग से गुजरना होगा।

## छूट

6. राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अधिकारी, ओसीआई कार्डधारक और उपरोक्त देशों के एयरक्रूज को प्रवेश पर इस तरह के प्रतिबंध से छूट दी गई है। हालांकि, उनकी स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है।

## स्वास्थ्य उपायों का पालन हर समय किया जाना चाहिए

COVID-19 प्रभावित देशों (https://www-who-int/emergencies/diseases/novel&coronavirus& 2019/ situation & reports पर उपलब्ध अद्यतन सूची) पर यात्रा करने के लिए और विदेश में जबकि इन सरल का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के तहत हर समय :

- अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करें।
- अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें।
- साबुन और पानी से बार–बार हाथ धोने का अभ्यास करें या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें।
- श्वसन शिष्टाचार का पालन करें – खांसते समय अपने मुंह को टीशु या रूमाल से ढकें।
- अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें।
- ऐसे लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें जो अस्वस्थ हैं या जिनमें बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि खांसी, सांस लेने में कठिनाई आदि।
- खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण होने पर मास्क पहनें।
- खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत स्थानीय चिकित्सक से संपर्क करें।

**भारत लौटते समय, यदि कोई यात्री अपनी यात्रा के दौरान बीमार महसूस करता है :**

- एयरलाइन क्रू को बीमारी के बारे में सूचित करें।
- एयरलाइन क्रू से मास्क मांगें।
- विमान चालक दल के निर्देशों का पालन करें।

- Disembarkation के बाद हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी के दिशा निर्देश का पालन करें।

**यदि कोई यात्री वापसी के 28 दिनों के भीतर बीमार (खांसी/बुखार या सांस लेने में कठिनाई) महसूस करता है,** COVID-19 प्रभावित क्षेत्रों से :

- हेल्पलाइन नंबर (011–23978046) पर तुरंत कॉल करें, अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- घर पर खुद को अलग रखें और ऐसे समय तक मास्क पहनें जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी से डॉक्टर द्वारा जांच न करवा लें।
- स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करें

स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, लोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं 24*7 हेल्पलाइन नंबर (91–11–23978046) या ईमेल पर (ncov2019@gmail.com) "

*इस तारतम्य में मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 104 या ईमेल (idspssu@gmail.com) पर संपर्क कर सकते हैं।